Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

1 अक्टूबर 2018
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुणे पुलिस के ख़िलाफ पीआईएल को खारिज किया जाना निराशाजनकः पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने अपने एक बयान में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर अपनी निराशा जताई है, जिसमें प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा और वर्नन गोंजाल्वेस को काले कानून यूएपीए के तहत भीमा कोरेगांव हिंसा से जोड़ने के लिए उनके खिलाफ पुणे पुलिस को अपनी जाँच जारी रखने की अनुमति दी गई है।

ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पुणे पुलिस की कहानी के खिलाफ काफी सबूत होने के बावजूद उसे मान लिया है। इसी वजह से कोर्ट ने रूमिला थापर, देविका जैन, सतीश देशपाण्डे, प्रभात पटनायक और माजा दरूवल्ला के द्वारा दाखिल की गई पीआईएल (जनहित याचिका) में जताई गई चिंता को खारिज कर दिया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ नहीं पाई कि देश में शासक वर्ग की ओर से पुसिल और दाएं बाजू के गुंडों की मदद से लोकतांत्रिक आवाज़ों को खामोश करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पुणे पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ सबूतों से छेड़ छाड़ और उनके चरित्र हनन से लेकर मीडिया से जोड़ तोड़ तक अनेक अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद कोर्ट ने जाँच को एसआईटी के हवाले करने की याचिका को रद्द कर दिया है, जो कि पुणे पुलिस को खुली माफी देने जैसा है।

ई. अबूबकर ने इस मामले में यूएपीए के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया है। यूएपीए जैसे क़ानून एक लोकतांत्रिक समाज के लिए कलंक हैं। इस प्रकार के क़ानूनों के प्रावधान मुलज़िमों से उनके मौलिक अधिकार छीन लेते हैं और पुलिस को हद से ज़्यादा अधिकार देते हैं, इसलिए विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए देश में इनका बहुत ज़्यादा दुरूपयोग किया जाता है। आंकड़े यह बताते हैं कि यूएपीए के अधिकतर मामलों में मुलज़िमों को बरी ही किया गया है।

डॉ० मुहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली